12.6.24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे विपक्षी स॰ 1, 2, 3, 4, 5, 6 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए विपक्षी गण को न्यायालय मे बार-बार रूक रूक कर अवाजें लगाई गई किन्तु सूचना के बाद भी उपस्थित नही होने से विपक्षी स॰ 1, 2, 3, 4, 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी स॰ 6 फोरमल पक्षकार होने से जवाब पेश नही करने से जवाब प्रा॰ पत्र का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण मे प्रा॰ पत्र अ॰धा॰ 128 LRA पर बहस सुनाये जाने का वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया जाने पर उक्त प्रा॰ पत्र पर वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई, प्रकरण मे प्रा पत्र 128 LRA

हुक्म या कार्यवाही मय शं...

| तारिख हुक्म | |
|---|---|
| | पर बहस सुनी जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2078-2078 मे खाता स. 289 अ.खा. 1016/784 रकबा 0.8100 हैं. भूमि प्रार्थी शंकर लाल पिता काशीराम गुर्जर नि. बाग पाछली खेडी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगडी कराने के अधिकारी है। |
| | अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 128 LRA का स्वीकार किया जाता है। मौजा हरीपुरा प.ह. दौलतपुरा की खाता स. 289 अ.खा. 1016/784. रकबा 0.8100 हैं. भूमि कि पत्थर गडी किये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 1500 ₹ कमिश्न शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। और निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी के मौके की पत्थर गडी प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति मे कि जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। |
| | (हस्ताक्षर) |